फतेहगढ़ पुलिस

# शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने की चेकिंग

**फर्रुखाबाद।** एसपी के निर्देश में थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपराधों की रोकथाम एवं कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग की। इसके साथ ही साथ रूट मार्च भी किया गया। अचानक चले चेकिंग अभियान से खासा हड़कंप मच गया। इससे पहले पुलिस ने दिन में बैंकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा।

मीडिया सेल

# फतेहगढ़ पुलिस

# गैंगरेप में दो को दस साल की कैद

फर्रुखाबाद, संवाददाता। गैंगरेप मामले में चरन सिंह और सुरजेश को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर चार चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मेरापुर थाने में वर्ष 2009 में मुकदमा लिखाया गया था। एक ग्रामीण की 14 वर्षीय बेटी 11 मार्च को अपने खेत में तंबाकू के पत्ता तोड़ने गयी थी। इस बीच दो लड़कों ने बेटी का हाथ पकड़ लिया और तंबाकू के खेत में बलात्कार का प्रयास किया। मेरापुर पुलिस ने 18 मार्च 2009 को मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

**गैंगस्टर में छह वर्ष का कारावासःफर्रुखाबाद।** विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्टकी अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी बृजेश सिंह चौहान को छह वर्ष के कारावास से दंडित किया है। 2016 में बृजेश सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। आरोपित बृजेश सिंह चौहान को विशेष सत्र परीक्षण के दौरान गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दोष सिद्ध पाया।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

# किशोरी से दुष्कर्म में दो को सजा

## 10-10 साल की कैद और 19-19 हजार रुपये लगाया गया जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने किशोरी से दुष्कर्म में दोषसिद्ध दो युवकों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। 19-19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्षीय पुत्री 11 मार्च 2009 को खेत में काम करने गई थी। तंबाकू के पत्ते तोड़ते समय गांव महसौना निवासी चरन सिंह, सुरजेश उर्फ नाटे वहां आए और किशोरी से मजाक करने लगे। दोनों लोग उसे घसीट कर ले गए और दुष्कर्म किया। किशोरी का शोर सुनकर पास के खेत में काम कर रहे ग्रामीण दौड़कर आए तो दोनों युवक धमकी देकर भाग गए थे। पीड़िता के पिता ने दोनों के खिलाफ मेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना ने दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने चरन सिंह व सुरजेश को दुष्कर्म व धमकी देने में छह अगस्त को दोषी करार देकर जेल भेज दिया था। बुधवार को दोनों युवकों को सजा सुनाई गई।

### सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म कर हत्या करने में चाचा दोषी

फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के जुर्म में चचेरे चाचा को दोषी करार दिया है। 16 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। कमालगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बालिका 20 अप्रैल 2017 की शाम को घर के बाहर खेलने गई थी। घर न आने पर पिता और बाबा उसकी तलाश करने लगे। गांव में स्थित पुराने सहकारी संघ के भवन के पीछे सूखे कुएं में कंबल में लपटी बालिका का शव मिला था। बाबा ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर चचेरे चाचा के खिलाफ भतीजी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व वादी के अधिवक्ता महेश यादव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार ने दलीलें पेश कीं। वादी के वकील महेश यादव ने बताया कि 16 अगस्त को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। (संवाद)

### गैंगस्टर में छह साल का कारावास

फर्रुखाबाद। विशेष अदालत गैंगस्टर के न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने गैंगस्टर मुकदमे में युवक को दोषी करार दिया। उसको छह साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है। कंपिल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने 21 जून 2016 को मोहम्मदाबाद के गांव मोहम्मद नगर बझेरा निवासी बृजेश सिंह चौहान के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। विवेचक ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरन बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने दलीलें पेश कीं। (संवाद)

मीडिया सेल

# फतेहगढ़ पुलिस

## गैंगस्टर में वांछित दो शातिर धरे गए

अमृतपुर। गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे दो शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार चौबे ने बताया कि रजीपुर गांव निवासी ढपाली जाटव ओर रामू निवासी आलूपुर को गिरफ्तार किया गया है । ढपाली गैंगेस्टर में वांछित था। उन्होंने बताया कि इन दोनों को गूजरपुर पुल के पाससे गिरफ्तार किया गया है। दोनों कहीं भागने की फिराक में थे। इन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया है। ढपाली पर तीन और रामू पर भी इतने ही मुकदमे हैं। इस पर भी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने अपराध करके जो चल अचल संपत्ति जुटाई है उसका पता करने के बाद पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी। जिससे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इनकी संपत्ति कुर्क करने की भी पहल होगी।

## दो आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अमृतपुर : थानाध्यक्ष अनिल चौबे ने पुलिस बल के साथ गूजरपुर पुल के निकट से गैंगस्टर के आरोपित कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव रजीपुर निवासी ढपाली जाटव व जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव आलूपुर निवासी रामू को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों के खिलाफ कमालगंज थाने में गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

मोहर्रम जुलूस से पहले सुरक्षा व्यवस्था परखने पहुंचे डीएम ,एसपी।

# पुलिस व प्रशासन रहा सतर्क

फर्रुखाबाद। मंगलवार को मोहर्रम के जलूस के दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी से लगे रहे। काफी गर्मी व उमस से सड़क पर पांव रखना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे भी जिम्मेदारों ने नगरपलिका से संपर्क साधा और पानी के टैंकरों को मंगायां गया। पालिका के पानी के टैंकर सड़क पर पानी बिखराते रहे लेकिन गर्मी की तपिश कुछ इस कदर थी कि टैंकर द्वारा पानी भी काम नही आ रहा था। पुलिस वे जहां भी जरूरत पड़ी जुलूस में शामिल लोगों की मदद की। जलूस शांतिपूर्ण रहा। हर चौराहे पर आम जगहों पर पुलिस के लोग तैनात रहे।

मीडिया सेल